राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 123 / 2024

अशोक कुमार स्वर्णकार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2024
आदेश की दिनांक : 25.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण (कृषि) विभाग, पंचायत समिति, कोटपूतली, जिला जयपुर कार्यरत है। अपीलार्थी को कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 01.12.2015 के द्वारा अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किए जाने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 09.01.2014 के द्वारा सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया और अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य है और उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त होने जा

रहा है, जो आदेश दिनांक 11.12.2023 जारी किया गया है, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है और न ही नियम 19 के अंतर्गत लंबित बताई गई है, परंतु आदेश दिनांक 11.10.2023 के द्वारा सीसीए नियम 16 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध जांच लंबित बताते हुए पत्र लिखा गया है जबकि दिनांक 01.12.2015 को अपीलार्थी के विरूद्ध यह आरोप पत्र जारी किया गया है। यह आरोप पत्र असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इस आरोप पत्र के कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के नाम पर अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति का विचार नहीं किया जा रहा है। उनका कथन है कि वर्ष 2015 में आरोप पत्र जारी किया गया है और 9 वर्ष बाद तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और अपीलार्थी अब वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त होने जा रहा है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति पर एवं उसकी पदोन्नति के मामले पर गलत प्रभाव डाला जा रहा है। अपीलार्थी की अग्रिम पदोन्नति अधिशाषी अभियंता के पद पर उसके नाम पर विचार नहीं किया जाना विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 01.12.2015 को अपास्त फरमाया जावे और रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण (कृषि) विभाग, पंचायत समिति, कोटपूतली, जिला जयपुर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.12.2023 के द्वारा अपीलार्थी दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है और न ही नियम 19 के अंतर्गत लंबित बताई गई है। दिनांक 01.12.2015 को अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किये गये आरोप पत्र का सेवानिवृत्ति के लिए जारी किए गए आदेश दिनांक 11.12.2023 में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के नाम पर अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि रिक्ति

वर्ष 2023–24 के विरूद्ध अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार उसके नाम पर विभाग द्वारा अस्थाई रूप से विचार किया जावे और अस्थाई रूप से किया गया विचार अपीलार्थी के विरूद्ध विचाराधीन जांच के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य